

कार्यपालिक सारांश

पुष्टभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I राजस्थान सरकार के वित्त लेखों पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को राज्य की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह प्राप्तियों, व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न इत्यादि की जानकारी देता है।

अध्याय II राजस्थान सरकार के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा यह विभिन्न अनुदानों में विनियोगों का विश्लेषण एवं चयनित अनुदानों की समीक्षा को दर्शाता है।

अध्याय III राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना की स्थिति है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

राज्य सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम लिए बिना या ओवरड्रॉफ्ट स्थिति के बिना सकारात्मक नकदी संतुलन बनाए रखा।

(अनुच्छेद 1.10.3)

वर्ष 2018-19 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (33.8 प्रतिशत) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 1.10.5)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य की राजकोषीय स्थिति

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में, राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय में कमी रही जबकि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई।

(अनुच्छेद 1.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान यद्यपि, राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (33.51 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (35.0 प्रतिशत) के भीतर था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, यह एमटीएफपीएस के लक्ष्य (32.76 प्रतिशत) से भी अधिक था जैसाकि स्वयं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित किया गया था। इसके अलावा, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधारों के लिए निर्धारित सीमा (₹ 28,203 करोड़) से राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधारें (₹ 30,192 करोड़) अधिक थीं।

(अनुच्छेद 1.10.2)

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया, जोकि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राज्य को निरन्तर राजस्व घाटा रहा जोकि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 28,900 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे के अनुपात में वृद्धि, वर्ष 2017-18 के 14.6 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत थी। यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की उत्पलावकता में वृद्धि के कारण थी, जोकि राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

सिफारिश: बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के साथ वृहत राजस्व घाटे की स्थिति (83.8 प्रतिशत) अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी उधारों पर राज्य सरकार की बढ़ती निर्भरता का द्योतक है। राज्य सरकार को प्राथमिकता से अपने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.11)

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

राजस्व प्राप्तियों गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,565.84 करोड़ (8.3 प्रतिशत) से बढ़ी, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में कमशः ₹ 13,790 करोड़ (9.1 प्रतिशत) एवं ₹ 10,311 करोड़ (7.0 प्रतिशत) से कम थी।

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 20,931.67 करोड़ (14.4 प्रतिशत) से बढ़ा, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में कमशः ₹ 2,345 करोड़ (1.4 प्रतिशत) एवं ₹ 6,236 करोड़ (3.6 प्रतिशत) से कम रहा।

पैंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 985.08 करोड़ (4.8 प्रतिशत) की कमी हुई, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में कमशः ₹ 6,102 करोड़ (23.7 प्रतिशत) एवं ₹ 1,423 करोड़ (6.8 प्रतिशत) से कम रहा।

सिफारिश: सरकार को बजट में शामिल अनुमानों को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए बजट का निर्माण युक्तिसंगत करना चाहिए ताकि राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के मापदण्डों को एफआरबीएम अधिनियम की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके।

(अनुच्छेद 1.2.2)

जेंडर रिस्पॉनसिव बजटिंग

एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय तथा दो अन्य योजनाओं में 25 एवं 42 प्रतिशत का व्यय, जेंडर उत्तरदायी बजटिंग के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की ओर से प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 1.2.3)

वर्ष 2018-19 के बजट भाषण की प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों तथा उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति

बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों की अनुवर्ती कार्यवाही में धीमी गति और कार्यों को प्रारम्भ करने में देरी, बेहतर निगरानी एवं अनुसरण में कमी की ओर इंगित करता है।

सिफारिश: प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में की गई घोषणाओं के महत्व एवं जन लेखा समिति द्वारा बार-बार की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित विभागों को इन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.2.4)

वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का स्वचालित तंत्र स्थापित हो जाने के साथ, लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखानरीक्षक के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों को एक विस्तृत जाँच में परिवर्तित किया जाना लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। डाटाबेस तक अपेक्षित पहुंच अभी भी दी जानी है। जीएसटी प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से सम्बन्धित डाटा की

उपलब्धता नहीं होना एक रुकावट है। इसलिए एकबार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि रिकार्ड को मैन्युअल रूप से रखे जाने पर किया जाता था।

सिफारिश: राज्य सरकार को एसजीएसटी के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण के प्रमाणीकरण के लिए महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-I) को एसजीएसटी ऑकड़ तक पहुँच शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करानी चाहिये।

(अनुच्छेद 1.4.1.2)

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

राजस्थान सरकार द्वारा पिछली किश्तों के उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं निष्पादन अनुदानों के लिए शर्तों की अनुपालना नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 1,933.16 करोड़ की राशि जारी नहीं की गई।

सिफारिश: राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूर्णरूपेण निर्गम सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में समय पर उपयोगिता प्रमाण प्राप्त/प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रणाली तथा निर्धारित लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.4.3)

पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ था। पूँजीगत व्यय का कुल व्यय पर प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 12.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 10.5 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 19,638.20 करोड़ के पूँजीगत व्यय में से ₹ 4,080.79 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 21 प्रतिशत) का निवेश सरकारी कम्पनियों और सहकारी समितियों/बैंकों/समितियों में किया। इसमें से, सरकार द्वारा संचित हानि ₹ 95,506 करोड़ एवं कुल ऋणात्मक लागत ₹ 59,097.74 करोड़ वाली पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 3,822.30 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 19.5 प्रतिशत) में निवेश किया।

सिफारिश: चूंकि उन कम्पनियों में जहाँ संचित घाटे के परिणामस्वरूप कुल लागत का क्षरण हुआ है, किए गये निवेश पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की संभावना, अल्प है, राज्य सरकार इन कंपनियों को भविष्य में भुगतान अंश पूँजी के बजाय अनुदान के रूप में करने पर विचार कर सकती है।

(अनुच्छेद 1.7.2)

¹ दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) को बदलकर महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) किया गया है।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को ₹ 46.43 करोड़ की शेष लीगेसी राशि हस्तान्तरित नहीं की है।

सिफारिश: राज्य सरकार को सम्बन्धित एनपीएस लाभार्थियों की पहचान कर एनपीएस की शेष लिगेसी राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरित कर देनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उचित लाभों से वंचित नहीं किया गया है।

(अनुच्छेद 1.7.3.2)

व्यय के उपयोग की दक्षता

राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण का अंश वर्ष 2017-18 में 0.91 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.59 प्रतिशत रह गया।

सिफारिश: राज्य सरकार को व्यय की दक्षता में सुधार करने और भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुल व्यय से पूँजीगत व्यय के अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.8.2)

अपूर्ण परियोजनाएँ

₹ 26,408.96 करोड़ की राशि 279 अपूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गई जो राज्य के संचयी पूँजीगत परिव्यय (₹ 1,88,108.83 करोड़) का 14 प्रतिशत था। 43 परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि ₹ 12,510 करोड़ (129 प्रतिशत) थी। निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 1.9.2)

निवेश एवं प्रतिलाभ

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 47,711.58 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 290.77 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 44.72 करोड़ का लाभांश घोषित किया गया।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक पाँच बिजली कम्पनियों में ₹ 45,265.06 करोड़ (कुल निवेश का 91 प्रतिशत) निवेश किया था।

राज्य सरकार ने चार कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 152.12 करोड़ का निवेश ऋण एवं अंशपूँजी के रूप में किया। तथापि, इन कंपनियों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर पिछले एक से दो वर्षों तक के अपने लेखे अंतिमीकृत नहीं किए हैं। इसलिए, इन कंपनियों के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

सिफारिश: राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वृहद् हानियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जिससे इनकी हानियों को कम किया जा सके तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा सकें।

(अनुच्छेद 1.9.3)

उपकर/अधिभार संग्रहण

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 1,564.30 करोड़ की राशि का कम हस्तान्तरण कर नियमों की अवहेलना की तथा, इस प्रकार, आगामी वर्षों के लिए अपनी वर्तमान वर्ष की देयता को स्थगित कर दिया, जो राजकाषीय घाटे को समतुल्य राशि द्वारा समझने का प्रभाव रखता है।

सिफारिश: राज्य सरकार को इन निधियों के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी बकाया प्राप्तियों को संवैधानिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में हस्तान्तरण करने पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.10.4)

ऋण प्रबन्धन

वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 2,33,238.88 करोड़) का ₹ 79,529.46 करोड़ (34.1 प्रतिशत) 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था।

सिफारिश: राज्य सरकार को अपनी बढ़ती देयता दायित्वों को पूरा करने लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक “समेकित सिंकिंग निधि” उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.12)

व्यय का प्रवाह

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय (₹ 2,04,439 करोड़) का 35.25 प्रतिशत (₹ 72,055 करोड़) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया। यद्यपि, कुल प्राप्तियाँ (₹ 1,90,898 करोड़) का 33.17 प्रतिशत (₹ 63,324 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में किये गये व्यय में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.23 प्रतिशत (₹ 3,980 करोड़) की कमी हुई। इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की गयी राशि उत्तरोत्तर व्यय पर कम नियंत्रण को इंगित करता है।

सिफारिश: विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति तथा अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह पर निगरानी बनाए रख सकते हैं।

(अनुच्छेद 2.3.2)

बचतें/निरन्तर बचतें

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 2,29,078.32 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के विरुद्ध ₹ 19,302.05 करोड़ की बचतें छोड़ते हुए ₹ 2,09,776.27 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान लिया गया ₹ 11,645.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को इन निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की संभावना को छोड़ते हुए, ₹ 18,329.95 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। इसके अलावा, 123 प्रकरणों में, ₹ 9,069.71 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 6,960.31 करोड़ (76.7 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3.8)

गत तीन वर्षों के दौरान 6 अनुदानों के 7 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक निरन्तर बचतें 10.5 प्रतिशत से 55.5 प्रतिशत के मध्य रहीं। विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों के दौरान व्यय के प्रवाह तथा व्यय की प्रवृत्तियों के उचित अनुश्रवण तथा बिना पर्याप्त संवीक्षा के विनियोग विधेयक में निधियों का आवश्यकता से अधिक निर्धारण की सूचक थी।

जन लेखा समिति ने अपने 86वें (मार्च 2016) तथा 153वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की

सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के प्रकरण जारी रहे।

(अनुच्छेद 2.3.4)

बकाया विस्तृत आकस्मिक बिल

मार्च 2019 तक आहरित किये गये राशि ₹ 62.03 करोड़ के 167 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल 30 जून 2019 को बकाया थे।

(अनुच्छेद 2.5)

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत नहीं करना

वर्ष 2018-19 के दौरान, राशि ₹ 2.34 करोड़ के 62 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 30 जून 2018 को प्रस्तुतीकरण हेतु बकाया थे। तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2018-19 के दौरान, राशि ₹ 5.97 करोड़ के 195 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बकाया थे।

वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य/विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ₹ 29,868.64 करोड़ के उपलब्ध कराये गए सहायतार्थ अनुदान के विरुद्ध, मार्च 2019 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्रहिता विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत नहीं किये गए थे। इस सूचना के अभाव में, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 29,868.64 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान से सम्बन्धित लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखाओं में प्रकट नहीं किये जा सके।

सिफारिश: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग निर्धारित समय में सहायतार्थ अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करें तथा यह आश्वस्त करें कि अनुदान निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये हैं।

(अनुच्छेद 3.1)

लेखाओं का प्रस्तुतीकरण: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा किये जाने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब पाया गया। वर्ष 2017-18 तक देय 64 निकायों/प्राधिकरणों के 96 वार्षिक लेखे प्रस्तुतीकरण हेतु जून 2019 तक गत एक से छः वर्षों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.2)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 16,885.63 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 13,857.86 करोड़ रही।

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनकी व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते हैं। मार्च 2019 तक, 10 में से केवल एक उपक्रम ने वर्ष 2017-18 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया एवं एक उपक्रम ने वर्ष 2018-19 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया।

सिफारिश: विभागों के प्रमुख को लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारणों का पता लगाने तथा इन उपक्रमों की दक्षता और जवाबदेयता में सुधार के लिए समय से लेखे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की सुनिश्चित हेतु सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिये।

(अनुच्छेद 3.3)

दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

राशि ₹ 79.45 करोड़ के दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजकीय धन की हानि के 831 बकाया प्रकरणों में से राशि ₹ 39.37 करोड़ के 308 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, ₹ 33.96 करोड़ के 447 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

सिफारिश: जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जांच शीघ्रता से निपटायी जानी चाहिये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

(अनुच्छेद 3.4)

निजी निक्षेप खाते

वर्ष 2018-19 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा की गयी, जो कि कुल व्यय (₹ 1,87,524 करोड़) का 16.9 प्रतिशत थी। इसमें से, ₹ 5,002.11 करोड़ (20.08 प्रतिशत) की राशि केवल मार्च 2019 में निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। कुल हस्तान्तरित राशि में से, 1,899 पीड़ी खातों में ₹ 13,325.59 करोड़ के अव्ययीत शेष थे। 31 मार्च 2019 को, राशि ₹ 0.18 करोड़ के कुल 20 पीड़ी खाते गत पाँच वर्षों (2014-19) से अप्रचलित थे।

सिफारिश: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन पीड़ी खातों में पड़ी निधियों को इन खातों में अवरुद्ध रखने की बजाय इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

(अनुच्छेद 3.5)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

31 मार्च 2019 तक, 10 मुख्य शीर्षों म. राशि ₹ 1,457.92 करोड़ के 65 प्रकरणों म. ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष थे, जिनमें से ₹ 1,376.65 करोड़ नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पश्चान निधि के अन्तर्गत थे।

सिफारिश: ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के 65 प्रकरणों में प्रतिकूल शेषों की राशि ₹ 1,457.92 करोड़ का प्राथमिकता से अंक मिलान एवं समायोजन करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 3.6)

लेखों में अस्पष्टता

लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 10,692.43 करोड़ लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 5.74 प्रतिशत था।

सिफारिश: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा व हक) के परामर्श से लेखों को अस्पष्टता से बचाने के लिए लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाले सभी मदों के लिए व्यापक समीक्षा आयोजित करनी चाहिये तथा भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अनुच्छेद 3.7)